तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
	9/12/25 पत्रावली पेश हुई। [illegible] पक्षकार [illegible] निर्णय पारित किया गया। प्रकरण [illegible] धारा 251 [illegible] विस्तृत निर्णय पृथक से लिखकर जारी किया गया। प्रकरण [illegible] दाखिल दफ्तर हो। [signature] 9/12/25 उपखण्ड अधिकारी बांदीकुई

न्यायालय उपजिला

मुकदमा नम्बर 175/2021

निर्णय दिनांक 09-12-2025

1. सुखचन्द पुत्र रामधनः जा
दौसा, राजस्थान।

1. आनन्दा पुत्र नहन्या
2. कजोडमल पुत्र गोविन
3. कमलेश पुत्र रुगनाथ
4. कालूराम पुत्र घासी
5. कालूराम पुत्र रामसुख
6. घासीलाल पुत्र रुगन
7. छीतरमल पुत्र कल्य
8. छोटेलाल पुत्र घासी
9. छोटेलाल पुत्र राम
10. ठण्डीलाल पुत्र रू
11. नाथूलाल पुत्र खैर
12. नानगराम पुत्र क
13. नाराय.ाी पत्नि न
14. पूनी देवी पत्नि
15 .प्यारेलाल पुत्र क
16. पूरणमल पुत्र घ
17. प्रसादीलाल पुत्र
18. प्रसादी लाल पु
19. केशरी पुत्री क
20. पुष्पलाता पुत्री
जिला दौसा।
21. भगवती पुत्री
सिकराय जिल
22. मूली पुत्री रू
23. भोली पुत्री
24. बुद्धा पुत्र मू
25. भगवानसहा
26. भोली देवी
27 मुरली पुत्र

Scanned with OKEN Scanner

न्यायालय उपजिला कलक्टर एंव उपजिला मजिस्ट्रेट बांदीकुई

मुकदमा नम्बर 175/2021
निर्णय दिनांक 09-12-2025

उनवान

1. सुखचन्द पुत्र रामधन जाति बलाई निवासी ग्राम खैरया की ढाणी भोजवाडा तहसील बांदीकुई जिला दौसा, राजस्थान।

प्रार्थी

बनाम

1. आनन्दा पुत्र नहन्या
2. कजोडमल पुत्र गोविन्दां
3. कमलेश पुत्र रुगनाथ
4. कालूराम पुत्र घासी
5. कालूराम पुत्र रामसुखा
6. घासीलाल पुत्र रुगनाथ
7. छीतरमल पुत्र कल्याण
8. छोटेलाल पुत्र घासी
9. छोटेलाल पुत्र रामसुखा
10. ठण्डीलाल पुत्र रूगनाथ
11. नाथूलाल पुत्र खैरया
12. नानगराम पुत्र कजोडमल
13. नाराय.ाी पत्नि नहन्या
14. पूनी देवी पत्नि कल्याण
15 .प्यारेलाल पुत्र कल्याण
16. पूरणमल पुत्र घासी
17. प्रसादीलाल पुत्र कल्याण

समस्त जाति मीना
निवासी खैरयाकी
तहसील बांदीकुई
जिला दौसा।

18. प्रसादी लाल पुत्र रामचन्द
19. केशरी पुत्री कजोडमल पनि गोपाल जाति मीना निवासी मुही तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
20. पुष्पलाता पुत्री कल्याण पत्नि महेश जाति मीना निवासी पोल्यावास तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा।
21. भगवती पुत्री रूगनाथ पत्नि प्रसादी जाति मीना निवासी डोलीका राजवास तहसील सिकराय जिला दौसा।
22. मूली पुत्री रूगनाथ पत्नि रमशी जाति मीना निवासी कालाखौ तहसील सिकराय जिला दौसा।
23. भोली पुत्री कजोडमल पत्नि गोपाल जाति गीना निवासी ग्राम मुही तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
24. बुद्धा पुत्र मूल्या
25. भगवानसहाय पुत्र रामचन्द
26. भोली देवी पत्नि रामचन्द
27 मुरली पुत्र रुगनाथ
28. मल्ला पुत्र नारायण
29. महादेव पुत्र रामसहाय
30. सांगीदेवी पत्नि नानगराम
31 मांगीलाल पुत्र मूल्या
32. रंगलाल पुत्र रामसुखा
33.रमेश पुत्र नहन्या
34. रमेश पुत्र नहनूराम
35. रमेशचन्द्र पुत्र रामचन्द

समस्त जाति बैरवा
निवासी खैरया की ढाणी
तहसील बांदीकुई

अ५६-

Scanned with OKEN Scanner

36. राजू पुत्र कल्याण
37. रामकिशन पुत्र गोविन्दों
38. रामखिलाडी पुत्र रामचन्द
39. रामवतार पुत्र नहन्या
40. लादया पुत्र हरजी
41. लोहडीराम पुत्र रामसहाय
42. लोहडीराम पुत्र रागसुखा
43. विनोद कुमार पुत्र रामचन्द
44. सन्तोष कुमार पुत्र रामचन्द
45. समरा पुत्र श्योराम
46. सोहनलाल पुत्र नहन्या
47. हजारी पुत्र रेवड
48. सीताराम पुत्र टूण्डा
49. योगेश पुत्र टूण्डा
50. मनीषा पुत्री टूण्डा
51. काली देवी पत्नि टूण्डा
52. दाखा देवी पत्नि फैलीराम
53. मांगीलाल पुत्र फैलीराम
54. हीरालाल पुत्र फैलीराम

समस्त जाति मीना
निवासी खैरया की ढाणी
तहसील बांदीकुई
जिलादौसा।

55. सुनिता पुत्री फैलीराम पत्नि हरीश जाति मीना निवासी लालगढ तहसील बस्सी जिला जयपुर
56. कमली पुत्री समरत्या पत्नि रामखिलाडी जाति मीना निवासी ग्राम रामपुरा तहसील बांदीकुई जिला दौसा।
57. ममनबी पुत्री सुमरत्या पत्नि घनश्याम जाति मीना निवासी ग्राम रामबास तहसील बसवा जिला दौसा।

अप्रार्थीगण

58. ईसर पुत्र पाल्या
59. काली देवी पत्नि सुखचन्द
60. गंगासहाय पुत्र रामसहाय
61. घासीराम पुत्र गंगाराम
62. चेतराम पुत्र श्योनाथ
63. चिरंजी पुत्र श्योनाथ
64. छोटी पुत्री गंगासम
65. प्रेमदेवी पत्नि गोकल
66. बुद्वाराम पुत्र गंगाराम
67. रतनलाल पुत्र जौहरी
68. रामपति पुत्री जौहरी
69. श्रवण पुत्र जौहरी
70. सुमाना पुत्री जौहरी

समस्त जाति मीना
निवासीखैरयाकी ढाणी
तहसील बांदीकुई
जिलादौसा।

तरतीबी अप्रार्थीगण

71. सीताराम पुत्र कन्हैयालाल
72. ताराचन्द पुत्र कन्हैयालाल
73. राकेश पुत्र कन्हैयालाल

४५६-

Scanned with OKEN Scanner

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 एंव धारा 151 एंव 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट)

:::–निर्णय–:::

प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 एंव धारा 151 एंव 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट का न्यायालय में पेश किया गया जिसका संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार है:– प्रार्थी ,वं तरतीबी अप्रार्थीगण संख्या 58 लगायत 73 सहखातेदार काश्तकार है जिनकी भूमि खाता संख्या नया व पुराना 09 खसरा नम्बरान 1, 10, 100, 11 लगायत 16, 2 लगायत 4, 41 लगायत 49, 5, 50, 55, 57 लगायत 59, 6, 60 लगायत 69, 7, 70, 71, 8, 9, 99 कुल खसरे 44 कुल रकबा 5.06 हैक्टेयर वाके ग्राम खैरया की ढाणी तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है तथा भूमि खाता संख्या नया 46 पुराना 30 खसरा नम्बरान 117 लगायत 131, 155, कुल खसरे 16 कुल रकबा 2.07 हैक्टेयर वाके ग्राम खैरया की ढाणी तहसील बांदीकुई जिला दौसा में स्थित है। जिसके संयुक्त खातेदार काश्तकार अप्रार्थीगण संख्या 01 लगायत 57 है। प्रार्थी एंव तरतीबी अप्रार्थीगण एंव अप्रार्थीगण के आवागमन के लिए प्राचीन रास्ता भूमि खसरा नम्बर 131, 130, 117, 118, 119, 120 में मौजूद था जिसे नक्शा टैस सम्वत 2045 में बतौर पगडण्डी डॉट के निशान से दर्शाया गया है। लेकिन जमाबन्दी में उक्त पगडण्डी डॉट निशान की बाबत कोई इन्द्राज नहीं था जिसकी बाबत एक उनवानी मुकदमा सुखचन्द बनाम सरकार मुकदमा नम्बर 33/2011 न्यायालय हाजा में जैर तजबीज था जिसको न्यायालय हाजा ने दिनांक 21/05/2016 को डिक्री कर दिया गया लेकिन उसकी अपील विपक्षीयान ने आर ए.ए. में प्रस्तुत की लेकिन सुनवाई के क्षेत्राधिकार के कारण उक्त अपील को डिविजनल कमीश्नर जयपुर के वहाँ अन्तरित कर दिया गया है वहाँ पर भी न्यायालय हाजा द्वारा पारित आदेश दिनांक 21/05/2016 को ही बहाल रखकर निर्णय पारित कर दिया। उक्त निर्णय की इजराय बाबत न्यायालय हाजा में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर टैक्नीकल इश्यू के आधार पर इजराय की पालना नहीं हो पाई। इस कारण से उक्त रास्ता रिकॉर्ड में कायम नहीं हो सका तथा इसी रास्ते की बाबत प्रार्थीगण ने प्रशासन गांव के संग अभियान 2021 के तहत ग्राम पंचायत नया गांव में एक प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया जो उनवानी प्रकरण सुखचन्द बनाम सरकार न्यायालय हाजा में जेर तजबीज है। उक्त प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा तहसीलदार बांदीकुई से रास्ते बाबत रिपोर्ट मांगी है जो पत्रावली पर मौजूद है। उक्त प्रार्थना पत्र में मिन प्रार्थी को 251 ए. के तहत रास्ता लेने के लिए न्यायालय में चल रहे प्रकरण को दुरूस्ती बाबत न्यायालय हाजा में निम्न आधारों पर पेश करना लाजमी आया है। प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण एंव तरतीबी अप्रार्थीगण के पास भूमि खसरा नम्बर 131, 130, 117, 118, 119, 120, में जो नक्शा ट्रैस में डॉटेड पगडण्डी दर्ज है वो ही रास्ता आवागमन के लिए है अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है तथा पक्षकारान एंव अन्य ग्रामीण इस रास्ते से ही आवागमन करते है। ऐसी सूरत में रिकॉर्ड में उक्त रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित एंव लाजमी है। मिन प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 99 तक भूमि खसरा नम्बर 131, 130, 117, 118, 119, 120 में से ही आवागमन का रास्ता है, उक्त रास्ता चार मीटर चौडा मौके पर मौजूद है तथा प्रार्थी उक्त रास्ते की बाबत राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के नियमानुसार मुआवजा राशि देने के लिए तत्पर एंव बाध्य है। मौके पर खसरा नम्बर 131 में जो अप्रार्थी संख्या 33 रमेश पुत्र नहन्या ने पूर्व में उक्त रास्ते बाबत अपनी सहमति प्रदान की थी क्योंकि इसके पिता खाता संख्या नया 46 पुराना 30 में खातेदार था तथा इस रास्ते में से होकर के उसके बुजुर्ग तथा वह स्वंय आवागमन करते रहे है लेकिन बाद में उसने अन्य खातेदार से अपने नाम जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जमीन खरीदकर रास्ता रोकने के लिए खसरा नम्बर 131 में चद्दरे तान ली जिसकी ताईद पुलिस थाना कोलवा में की गई शिकायत एव उसके द्वारा अपने नाम कराये गये बेचान नामें से होती है। अन्य उज्जात वर वक्त बहस अर्ज किये जावेगे।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि न्यायालय हाजा में चल रहे प्रकरण में उक्त प्रार्थना पत्र को सामिल कर उक्त प्रकरण को 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत स्वीकार कर मौके पर भूमि खसरा नम्बर 131, 117, 118, 119, 120 में से चार मीटर चौडा रास्ता कायम किये जाने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें।

Scanned with OKEN Scanner

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तलबी अप्रार्थीगण की गई। खातेदार रमेश टुण्डाराम लादुराम नगराम सोहनलाल की ओर से वकालत नामा पेश किया गया। प्रकरण तहसीलदार रिपोर्ट पर नियत त्या गया। प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई के पत्रांक 2673 दिनांक 06.06.2025 के द्वारा रिपोर्ट पेश ी गई उक्त रिपोर्ट में तहसीलदार बांदीकुई द्वारा पटवारी हल्का भोजवाडा की मूल रिपोर्ट पेश की मूल रेपोर्ट पटवारी हल्का की निम्न प्रकार है:– उनवानी प्रकरण सं. 175/2021 सुखचन्द बनाम सरकार प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 251 ए में रिपोर्ट भिजवाने बाबत मौका देखा गया जो निम्नानुसार है।

1.पत्रावली में सलग्न प्रस्तावित रास्ता ग्राम खैरया की ढाणी के ख. नं. 61, 62, 63, 64 ,99, 120,119,118,117,130,131 में होकर है। जिसमे वर्तमान राजस्व रिकार्ड नक्शा शीट में कोई गै. मु. रास्ता दर्ज रिकार्ड में है। और ना ही कोई रास्ता चालू है।2. ग्राम खैरया की ढाणी के खं नं. 61,62,63,64,99 की पूर्वी दिशा की मेड पर वर्तमान में पगडण्डी या रास्ता नही है। 3. ग्राम खैरया की ढाणी के खं नं. 131 में वर्तमान में मौके पर पुख्ता बाउण्ड्रीवाल टीन शेड डाकर एक ईटों का कमरा खुली टीन शेड बनी हुई है। 4. वादी को आने जाने हेतु अन्य कोई रिकॉर्डेड गै. मु. रास्ता नही है।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या 13.46 की ओर से जवाब पेश किया गया जो निम्न प्रकार है:– प्रार्थना–पत्र प्रार्थी द्वारा कतई गलत आधारों पर प्रस्तुत किया है जो निरस्त होने योग्य है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में वर्णित भूमि खाता सं. 09 के मिन अप्रार्थी व अन्य अप्रार्थीगण जो जमाबन्दी में दर्शित है, खातेदार काश्तकार है तथा काबिज होकर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में यह कथन कि खसरा नं. 131, 130, 117, 118, 119, 120 प्राचीन रास्ता हो कतई गलत है। उक्त खसरा नम्बरान की भूमि में होकर कभी भी कोई रास्ता नहीं रहा न ही वर्तमान में है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र में प्रकरण सं. 33/2011 की बाबत कथन किया है जिसमें भी न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई रास्ता होना दर्शित नहीं किया है ना ही रास्ता घोषित किये जाने बाबत कोई दावा डिकी किया है। प्रार्थी द्वारा कतई गलत आधारों पर मौके से भिन्न स्वयं रास्ते के भूमि के लगते हुये भूमि काश्त की प्रार्थी की खातेदारी होते हुये मिन अप्रार्थी को हैरान–परेशान करने की गरज से मिन अप्रार्थीगण के पूर्व से खसरा नं. 131, 130 पर पुख्ता रिहायश बनी हुई है तथा खसरा नं. 131 के दिशा दक्षिण की ओर आबादी भूमि खसरा नं. 162 से खसरा नं. 163 में होकर मौके पर डामर रोड़ है तथा खसरा नं. 131 के दिशा दक्षिण की ओर अप्रार्थी की पुख्ता बाउण्ड्री बनी हुई है जो हल्का पटवारी की मौका रिपोर्ट दिनांक 08.05.2025 से भी प्रमाणित है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के पैरा सं. 01 में कतई गलत कथन दर्शित किये है। खसरा नं. 131, 130, 117, 118,119, 120 में होकर ना तो किसी प्रकार की कोई पगडण्डी दर्शित है ना ही किसी प्रकार का कोई रास्ता दर्शित है ना ही किसी प्रकार का कोई मौके पर आवागमन हेतु रास्ता है तथा स्वयं प्रार्थी की भूमि खसरा नं. 1, 2, 3, 4 सरकारी रास्ता खसरा नं. 294 जो ग्राम नया गांव से आने वाला रास्ता है उस रास्ते के लगती हुई भूमि है एवं खसरा नं. 29, 32, 33 की दिशा दक्षिण की ओर खसरा नं. 30, 31 की सीमा के लगते हुये मौके पर सी.सी. रोड़ बना हुआ है जो प्रार्थी की भूमि व ढाणी तक मौके पर बना हुआ है जो सी.सी. रोड़ आबादी भूमि खसरा नं. 162 से खसरा नं. 163 रास्ता की भूमि जो मौके पर डामर सड़क बनी हुई से जाता है जिसका नजरी–नक्शा जवाब के साथ संलग्न है जिसमें ए, बी, सी, डी रास्ता प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1, 2, 3, 4 के लगता हुआ है एवं दूसरा रास्ता जो नजरी–नक्शे में ई, एफ, जी, एच से दर्शित है। जिस पर मौके पर सी.सी. रोड़ बनी हुई है। उक्त रास्ता भी प्रार्थी की ढाणी को जाने वाला रास्ता है तथा उक्त दोनों ही रास्तो से प्रार्थी अपनी भूमि व रिहायश हेतु आता–जाता है जो मौके पर रास्ता बना हुआ है। प्रार्थना–पत्र में चाह गया रास्ता न तो मौके पर मौजूद है ना ही दिया जाना संभव है। उक्त खसरा नं. 131 से प्रार्थी की भूमि करीब आधा किलोमीटर दूर है इसलिये भी उक्त प्रार्थना–पत्र खारिज होने योग्य है। प्रार्थना–पत्र के पैरा सं. 02 में वर्णित कथन कतई गलत दर्शित है। प्रार्थी की भूमि खसरा नं. 1, 2, 3, 4 सरकारी रास्ते की भूमि खसरा नं. 294 के लगते हुये नजरी–नक्शे में बैरग सुर्ख ए, बी, सी, डी होने से एवं दूसरा रास्ता नजरी–नक्शे में बैरग सुर्ख ई, एफ, जी, एच मौके पर सी.सी. रोड़ होने से तथा उक्त रास्ता प्रार्थी की भूमि के लगते हुये होने से प्रार्थना–पत्र खारिज होने योग्य है। उसमें होकर रास्ता चाहने बाबत प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जो पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है। प्रार्थी की भूमि सरकारी रास्ते के लगती हुई होने से तथा विकल्प में नजरी–नक्शा जो जवाब के साथ संलग्न है उसमें ई, एफ, जी, एच बैरंग सुर्ख रास्ता मौके पर मौजूद है जहाँ सी.सी. रोड़ बनी हुई होने से प्रार्थना–पत्र प्रार्थी पोषणीय नहीं होने से खारिज होने योग्य है। वकिया उज्जात वर वक्त बहस अर्ज कर

a46–

Scanned with OKEN Scanner

दिये जावेगें। अतः जवाब प्रार्थना–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थना–पत्र प्रार्थी मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावें।

प्रकरण में बहस उभय पक्ष सुनी गई। प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना पत्र को दोहराते हुये तक किया है कि प्रार्थी एंव अप्रार्थीगण एंव तरतीबी अप्रार्थीगण के पास भूमि खसरा नम्बर 131, 130, 117, 118, 119, 120, में जो नक्शा ट्रैस में डॉटेड पगडण्डी दर्ज है वो ही रास्ता आवागमन के लिए है अन्य कोई रास्ता मौके पर मौजूद नहीं है तथा पक्षकारान एंव अन्य ग्रामीण इस रास्ते से ही आवागमन करते है। ऐसी सूरत में रिकॉर्ड में उक्त रास्ता कायम किया जाना न्यायोचित एंव लाजमी है। प्रार्थी व तरतीबी अप्रार्थीगण की भूमि खसरा नम्बर 99 तक भूमि खसरा नम्बर 131, 130, 117, 118, 119, 120 में से ही आवागमन का रास्ता है, उक्त रास्ता चार मीटर चौडा मौके पर मौजूद है तथा प्रार्थी उक्त रास्ते की बाबत राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के नियमानुसार मुआवजा राशि देने के लिए तत्पर एंव बाध्य है।अत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर रास्ता कायम किया जावे।

दौराने बहस अप्रार्थी अधिवक्ता द्वारा अपने जवाब प्रार्थना पत्र को दौहराते हुये तर्क किया है कि प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना–पत्र के पैरा सं. 01 में कतई गलत कथन दर्शित किये है। खसरा नं. 131, 130, 117, 118, 119, 120 में होकर ना तो किसी प्रकार की कोई पगडण्डी दर्शित है ना ही किसी प्रकार का कोई रास्ता दर्शित है ना ही किसी प्रकार का कोई मौके पर आवागमन हेतु रास्ता है तथा स्वयं प्रार्थी की भूमि खसरा नं. 1, 2, 3, 4 सरकारी रास्ता खसरा नं. 294 जो ग्राम नया गांव से आने वाला रास्ता है उस रास्ते के लगती हुई भूमि है एवं खसरा नं. 29, 32, 33 की दिशा दक्षिण की ओर खसरा नं. 30, 31 की सीमा के लगते हुये मौके पर सी.सी. रोड़ बना हुआ है जो प्रार्थी की भूमि व ढाणी तक मौके पर बना हुआ है जो सी.सी. रोड़ आबादी भूमि खसरा नं. 162 से खसरा नं. 163 रास्ता की भूमि जो मौके पर डामर सड़क बनी हुई से जाता है जिसका नजरी–नक्शा जवाब के साथ संलग्न है जिसमें ए, बी, सी, डी रास्ता प्रार्थी के खेत खसरा नं. 1, 2, 3, 4 के लगता हुआ है एवं दूसरा रास्ता जो नजरी–नक्शे में ई, एफ, जी, एच से दर्शित है। जिस पर मौके पर सी.सी. रोड़ बनी हुई है। इसलिये उक्त प्रार्थना पत्र को कोई औचित्य नही है अतः प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

बहस उभय पक्ष पर मनन किया गया एवं पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में तहसीलदार बांदीकुई से प्राप्त रिपोर्ट पत्रांक 2673 दिनांक 6.6.2025 में पटवारी हल्का की रिपोर्ट में के बिन्दु संख्या 4 में प्रार्थी को आने जाने हेतु कोई रास्ता नही होना व्यक्त किया गया है। जिससे प्रार्थी का कथन प्रमाणित होता है। धारा 251 ए के तहत प्रार्थी को रास्ता दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

अतः आदेश है कि प्रार्थना पत्र प्रार्थी की ओर से अन्तर्गत आदेश 06 नियम 17 एंव धारा 151 एंव 251 ए राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत स्वीकार कर ग्राम खैरया की ढाणी में अप्राथीगण के भूमि खसरा नम्बर 131, 117, 118, 119, 120 में से चार मीटर चौडा रास्ता प्रार्थी को आने जाने हेतु अवाप्त किया जाता है रास्ते में अवाप्त भूमि को खातेदारी से कम कर सार्वजनिक गैर मुमकिन रास्ता दर्ज किया जावे। प्रार्थी रास्ते में अवाप्त भूमि की मुआवजा राशि प्रचलित डी.एल.सी दर से दोगुनी राशि तहसीलदार बांदीकुई को विधिवत जमा करावे। तहसीलदार बांदीकुई वांछित राशि जमा कर संबंधित खातेदार को नियमानुसार भुगतान करे, तथा तहसीलदार बांदीकुई उक्त अवाप्त रास्ते के लिए प्रस्तावित भूमि को विधिवत राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करे। पालना हेतु तहसीलदार बांदीकुई को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। मेरे द्वारा आज दिनांक 09.12.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

[signature] 09/12/25

(रामसिंह राजावत)
आरएएस
उप जिला कलक्टर
बांदीकुई

Scanned with OKEN Scanner